

**From:** Ashwani Dubey <[dubeyashwani786@gmail.com](mailto:dubeyashwani786@gmail.com)>

**Date:** 22 September 2019 at 4:59:12 PM IST

**To:** [arvind@traigov.in](mailto:arvind@traigov.in)

आदरणीय आपने जो सुझाव मांगे है केबल ऑपरेटर से मेरा सुझाव

1 किसी भी चैनल की कीमत 5 रूपए से ज्यादा न हो वो चाहे एच डी हो या एस दी

2 N C F का पूरा पैसा केबल ऑपरेटर को मिलना चाहिए क्योंकि M.S.O को सभी चैनल वाले केरिज फीस देते है उसमे केबल ऑपरेटर की कोई हिस्सेदारी नहीं होती

3 आपके बनाये इस कानून मे काफी कमिया है इस कानून मे केबल ऑपरेटर का ख्याल ही नहीं रखा गया

4 इस कानून मे Mso और Broudcoster को ही फायदा पंहुचा है न की ग्राहक और केबल ऑपरेटर

5 इस नए कानून की वजह से सभी ग्राहकों का बिल दुगना हो गया जिस घर मे दो कनेक्शन थे वह एक टीवी से काम चला रहे है

6 श्रीमान जी जो कानून पुराना था वही ठीक था उस कानून मे 200 रूपए मई सारे चैनल मिलते थे